।। कार्यालय पुलिस उप–अधीक्षक वृत्त शहर, श्रीगंगानगर।।

क्रमांक :–सीएम हैल्प लाईन / जन सम्पर्क / 2020 / 4038 दिनाक :–03.10.2020

प्रभारी

सीएम हैल्प लाईन, राजस्थान जयपुर ।

विषयः–सीएम हैल्पलाईन परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार , निवासी s-1. JHARKHAND APPARTMENT. JHARKHAND MODE .GENERAL SAGAT SINGH MARG KHATIPURA . वार्ड न0.14 जयपुर हेरिटेज जयपुर विरूद्व पुलिस विभाग के संबंध में।

प्रसंगः–सीएमहैल्पलाईन / जन / 2020 / 09203348665234 की पालना में

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसगानुसार निवेदन है कि जनसम्पर्क / सीएम हैल्पलाईन परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार , निवासी s-1. JHARKHAND APPARTMENT. JHARKHAND MODE .GENERAL SAGAT SINGH MARG KHATIPURA . वार्ड न0.14 जयपुर हेरिटेज जयपुर विरूद्व पुलिस विभाग के संबंध में परिवाद प्राप्त हुआ,जिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जो मुताबिक रिपोर्ट इस प्रकार से है, दिनांक 25.09.2020 को एक परिवाद ज्ञानेश कुमार निवासी s-1. JHARKHAND APPARTMENT. JHARKHAND MODE .GENERAL SAGAT SINGH MARG. KHATIPURA वार्ड न0.14 ,जयपुर हेरिटेज , जयपुर विरूद्व पुलिस विभागबाबत् इस संबध मे प्राप्त हुई कि दिनांक 8.09.2020 को प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक ड्रग्स माफिया बोले खरीदने की हिम्मत हो तो पूरा ट्रक गोलियां दे दूंगा नाम नम्बर दो घर भी भेज देंगे के सम्बन्ध मे वगैरा वगैरा परिवाद प्राप्त हुई।

उक्त परिवाद के सम्बन्धित में सर्किल हाजा के समस्त थानाधिकारी को पत्र लिखा गया। जिसमें आवश्यक कार्यवाही करने को निर्देशित किया गया।

उक्त परिवाद समाचार पत्र में छपी खबर उपरोक्त अवलोकन किया गया उक्त समाचार खबर से सर्किल हाजा सम्मत स्टाफ को अवगत करवाया जाकर ईलाका थाना में नशा करने वाले अथवा मेडिकल नशा बेचने वालो के संबंध में आसुचना प्राप्त की गई तो वर्तमान में मेडिकल नशा बेचने वाले ड्रग्स माफिया के विरूद्व लगातार शहर श्रीगंगानगर में कार्यवाहियां होने के कारण कोई मेडिकल नशा थाना हाजा क्षेत्र में बेचान करना नही पाया गया है तत्समय 2018 ,2019 व 2020 में प्रभावी कार्यवाहीं नशीली गोलिया व शीशीया इलाका सर्किल क्षेत्र कार्यवाही की जाकर ड्रग्स माफिया के विरूद्व कार्यवाही की गई है इसके अलावा उक्त अवधि में अवैध पोस्त , स्मैक , गांजा के काफी प्रकरण दर्ज किये जाकर नशा बेचने वालो के विरूद्व कार्यवाही की गई है इसी वर्ष के शुरू में थाना जवाहरनगर प्रकरण संख्या 12 / 2020 धारा 8 / 21 एनडीपीएस एक्ट में पंजिबद्व किया गया जिसमें दो व्यक्तियो को मौका पर कार सहित 4.80 ग्राम चिटटा के साथ गिरफतार किया जाकर अब तक उक्त प्रकरण में मैन स्पलायर सहित कुल 4 व्यक्तियो कि गिरफतारी हो चुकी है इसके अलावा भारी मात्रा में इस वर्ष पोस्त की बरामदगी की जाकर काफी प्रकरण दर्ज किये जा चुके है।

मेडिकल नशा की रोकथाम के प्रयास किये गये है। इसके अलावा उच्चाधिकारीयो के आदेशानुसार समय समय पर इलाका हाजा में नशा मुक्ति शिविर लगाकर आमजन में नशा के प्रति जागरूकता पैदा कि गई है एवम् नशा छोडने के लिए समझाईश कि गई है तथा नशा से होने वाले नुकसान से लोगों को अवगत करवाया गया है । फिर भी मेडिकल नशा एवम् अन्य नशा के विरूद्व अभियान चलाया जाकर और अधिक कार्यवाही करने के प्रयास जारी है । जांच रिर्पोट वास्ते आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है।

भवदीय,

एसडी

(इस्माईल खान)

आरपीएस

पुलिप उप अधीक्षक

वृत्त शहर,श्रीगंगानगर।